www.chronicleindia.in

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

facebook/civilserviceschronicle

नवंबर 2023
❑ वर्ष 33 ❑ अंक 3

इस अंक में

87 प्रारंभिक परीक्षा
सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-2

सामयिक आलेख
06 भारत का G20 नेतृत्व : समावेशी विश्व व्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव
09 डिजिटल समावेशन : आधुनिक एवं सशक्त समाज के निर्माण हेतु आवश्यक
12 हिंद महासागरीय क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां : क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता हेतु राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता

इन फोकस
15 106वां संविधान संशोधन अधिनियम : लैंगिक समानता एवं सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
16 भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा : अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी तथा आर्थिक एकीकरण का एक बेहतर विकल्प
18 वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन : नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नए मंच का महत्व एवं चुनौतियां

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय परिदृश्य............................20-27
20 सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के साथ एकीकरण
21 पुलिस ब्रीफिंग पर मैनुअल बनाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
21 सुब्रमण्यम स्वामी वाद के निर्णय का पूर्वव्यापी प्रभाव
22 सागर परिक्रमा चरण-VIII
22 स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023
23 आयुष्मान भव अभियान
23 क्षमता निर्माण योजना
24 मानक क्लबों की स्थापना
24 'ट्रैवल फॉर लाइफ' अभियान
24 जेल सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति
25 सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम [AFSPA],
26 केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन
26 प्रतिबंधित संगठनों को मंच न प्रदान करने की सलाह

79 पत्रिका सार : सितंबर 2023
योजना, कुरुक्षेत्र एवं विज्ञान प्रगति

85 संसद प्रश्नोत्तरी
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य : वनलाइनर रूप में

148 69वीं बीपीएससी प्रा. परीक्षा
महत्वपूर्ण वनलाइनर तथ्य

सामाजिक परिदृश्य........................28-33
28 उच्चतर शिक्षा में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का कार्यान्वयन' रिपोर्ट
28 स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-2023 रिपोर्ट
29 इंडिया एजिंग रिपोर्ट : 2023
29 श्रेयस नेशनल फेलोशिप योजना
29 'CRIIIO 4 गुड' मॉड्यूल का शुभारंभ
30 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आरंभ की गई पहलें
30 अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार
30 जनजातियों की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण प्रोफाइल
31 आयुष्मान भारत अभियान तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
31 ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज: 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट
32 मनरेगा तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयों की स्थिति
32 अर्बनशिफ्ट एशिया फोरम

विरासत एवं संस्कृति......................34-38
34 भारत के नए विश्व विरासत स्थल
35 पुरातत्व संरक्षण से संबंधित ASI की विभिन्न पहलें
35 पश्चिम बंगाल का राज्य गान
36 जी-20 सम्मेलन में जनजातीय शिल्प कौशल का प्रदर्शन
36 चौंसठ योगिनी मंदिर
37 दिव्य कला मेला
37 वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी
37 संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार

आर्थिक परिदृश्य.........................39-51
39 नेटवर्किंग एवं दूरसंचार उपकरण विनिर्माण : TRAI की सिफारिशें

40 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन
40 भारत-यूनाइटेड किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज
40 राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं विस्तार पर रिपोर्ट
41 इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की चक्रीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट
41 खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के विकल्पों पर अध्ययन
41 इंडिया क्लस्टर पैनोरमा रिसर्च पेपर-2023
42 'एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग: ए न्यू नैरेटिव' दस्तावेज
42 विलफुल डिफॉल्टर्स एवं लार्ज डिफॉल्टर्स के साथ व्यवहार संबंधी दिशा-निर्देश
42 बड़े निगमों को ऋण बाजार से धान प्राप्त करने के नियमों में सुगमता
43 बेसल-III कैपिटल फ्रेमवर्क
43 बैंकिंग प्रणाली में पिछले 4 वर्षों में तरलता में सर्वाधिक कमी
43 यूपीआई के तहत नवीन पहलों का शुभारंभ
44 यूपीआई आधारित क्यूआर कोड-सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
44 15 एनबीएफसी अतिरिक्त नियामकीय व्यवस्था के अधीन
44 पेटेंट (संशोधन) नियम-2023 मसौदा
45 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर ICRIER का सर्वेक्षण
45 भारत द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध : WTO में आपत्ति
46 भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार
46 आर्थिक अपराधियों से 1.8 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति बरामद
46 धान शोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 में संशोधन
47 पुरानी पेंशन योजना पर रिजर्व बैंक की सलाह
47 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति : मुख्य विशेषताएं एवं प्रगति

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन 52-60

52 मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम
52 20वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन तथा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
53 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन
54 अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग-दक्षिण एशिया सम्मेलन
54 किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी
55 G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन
55 वैश्विक नवाचार सूचकांक-2023
55 विश्व खाद्य कार्यक्रम की हंगरमैप लाइव रिपोर्ट
56 'प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स: जेंडर्स स्नैपशॉट- 2023'
56 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का ड्राफ्ट लीगल इंस्ट्रूमेंट
57 भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की प्रथम बैठक
60 नागॉर्नो-कराबाख क्षेत्र
60 साहेल क्षेत्र

पर्यावरण एवं जैव विविधता 61-67

61 वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023
62 प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित वैश्विक संधि का मसौदा
62 हीटवेव के कारण ओजोन प्रदूषण
62 कार्बन बजट में उचित हिस्सेदारी
63 कार्बन उत्सर्जन एवं मानव पर इसके प्रभाव
63 जलवायु से बच्चों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति के दिशा-निर्देश
64 भारत के हाथी गलियारों पर रिपोर्ट
64 आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर रिपोर्ट
65 यूरोपीय बम्बलबी की प्रजातियों पर खतरा
65 हिमालयी राज्यों में स्थित शहरों की वहन क्षमता
65 इंटेलिजेंट वॉटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट : तमारा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 68-78

68 गुजरात में वैनेडियम धातु की खोज
69 'ओसीरिस-रेक्स' मिशन द्वारा कैप्सूल में एकत्रित नमूनों की वापसी
69 CE20 E13 इंजन
70 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट
70 विश्व स्वास्थ्य संगठन की उच्च रक्तचाप रिपोर्ट
70 इन्वर्स वैक्सीन का विकास
71 रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की रिपोर्ट
71 फार्मा मेडटेक क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय नीति एवं योजना
71 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के खरीद को मंजूरी
72 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की ऑस्ट्रेलिया से खरीद
72 सरकार सभी उपकरणों में 'नाविक' को अनिवार्य बनाएगी
73 जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा नौकरियां
73 मसौदा राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति जारी
74 टेराहर्ट्ज रेंज में मांग सृजन को सुगम बनाने हेतु TRAI का परामर्श पत्र
74 भवनों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क पर विनियमन
74 हाइब्रिड नैनोकणों के उपयोग से कैंसर का इलाज

लघु संचिका 150-153

राज्यनामा 154-156

खेल परिदृश्य 157-158

समसामयिक प्रश्न 159-160

वन लाइनर 161-162

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं इम्प्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नंबर C-18-19-20-21, सेक्टर-59, नोएडा-201301 से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

भारत का G20 नेतृत्व

समावेशी विश्व व्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव

• डॉ. अमरजीत भार्गव

सभी सदस्य देशों द्वारा 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' को एकमत से स्वीकार किए जाने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत, इस सम्मेलन में बड़ी शक्तियों के बीच मतभेद को समाप्त करने में सक्षम रहा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष के G20 सम्मेलन के बाद से ही विश्व की महाशक्तियों के बीच मतभेद काफी बढ़ गए थे। G20 की भारत की अध्यक्षता तथा इसकी सफलता से यह सिद्ध होता है कि "भारत विश्व के लिए तथा विश्व भारत के लिए तैयार है"।

9-10 सितंबर, 2023 तक नई दिल्ली के 'भारत मंडपम अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-कन्वेंशन सेंटर' (IECC) में 18वां G20 शिखर सम्मेलन-2023 आयोजित किया गया। यह भारत के साथ-साथ दक्षिण एशिया में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इस वर्ष की बैठक की थीम 'वसुधैव कुटुंबकम' अथवा 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' थी।

- यह शिखर सम्मेलन 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' (New Delhi Declaration) को अपनाने के साथ समाप्त हुआ, जिसे सभी सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। यूक्रेन संकट पर अपनाए गए रुख पर रूस और चीन दोनों की सहमति को देखते हुए यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है।
- शिखर सम्मेलन में अनेक नवीन वैश्विक पहलों को आरंभ किया गया, जो आने वाले समय में वैश्विक परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखती हैं।
- इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन की सफलता भारत को विश्व की विभिन्न जटिल आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण का नेतृत्व करने के साथ-साथ विकासशील विश्व की आकांक्षाओं को मंच पर सबसे आगे रखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।
- इतना ही नहीं, नई दिल्ली घोषणा-पत्र पर सामूहिक सहमति तथा अन्य उपलब्धियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान सम्मेलन समावेशी वैश्विक व्यवस्था के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।

शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणाम

✓ **नई दिल्ली घोषणा-पत्र**

- सम्मेलन के समापन के अवसर पर 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' (New Delhi Declaration) को अपनाया गया। इस घोषणा-पत्र के मुख्य बिंदुओं को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है-
- **मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी वृद्धि:** घोषणा-पत्र में वैश्विक मूल्य-शृंखलाओं की पहचान के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की बात की गई है।
  - सदस्य देशों के आपसी सहयोग से व्यक्तियों और एमएसएमई (MSMEs) के वित्तीय समावेशन को तीव्र गति से बढ़ावा देने के लिए 'वित्तीय समावेशन कार्य योजना' (Financial Inclusion Action Plan) तैयार की जाएगी।
- **सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति में तेजी लाना:** सदस्य देशों ने स्वीकार किया है कि खाद्य मूल्य में अस्थिरता से बचने एवं इसमें अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'कृषि बाजार सूचना प्रणाली' (AMIS) तथा 'ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्लोबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग' (GEOGLAM) को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता:** विकासशील देशों को विशेष रूप से उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को लागू करने के लिए वर्ष 2030 से पूर्व 5.3 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर राशि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, संभावित हरित विकास समझौता आवश्यक वित्त की भरपाई करने में सक्षम होगा।
- **21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं:** घोषणा-पत्र में सदस्य देशों के मध्य पहली बार 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' (UNSC) में सुधार से संबंधित 'UNGA 75/1' पर व्यापक सहमति बनी है।
  - इसी प्रकार, सभी देश बहुपक्षीय विकास बैंक (Multilateral Development Banks) पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (Capital Adequacy Framework) पर G20 की स्वतंत्र समीक्षा की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक रोडमैप पर सहमत हुए हैं।
- **तकनीकी रूपांतरण और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर:** सदस्य देशों की सहमति से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के विकास और उपयोग में सर्वोत्तम पद्धतियों तथा अनुभवों को साझा करने के लिए ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी (Global Digital Public Infrastructure Repository) का निर्माण किया जाएगा।
  - क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के लिए एक समन्वित एवं व्यापक 'नीतिगत तथा विनियामक फ्रेमवर्क' (Policy and Regulatory Framework) का समर्थन करने हेतु संयुक्त रोडमैप तैयार करने पर भी सहमति का निर्माण हुआ है।

डिजिटल समावेशन

आधुनिक एवं सशक्त समाज के निर्माण हेतु आवश्यक

• संपादकीय डेस्क

डिजिटल समावेशन की अवधारणा को 21वीं सदी में व्यापक रूप से महत्व मिला है। डिजिटल क्षेत्र एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लाखों रोजगार उत्पन्न हुए हैं तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बैंकिंग से लेकर कृषि एवं रक्षा तक सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। 2014 से भारत सरकार ने विभिन्न उपायों द्वारा डिजिटलीकरण लाने में सक्रिय भागीदारी निभाई है। देश एक डिजिटल क्रांति का अनुभव कर रहा है, जो ई-भुगतान, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन, भौगोलिक मानचित्रण, ग्रामीण विकास तथा कई अन्य क्षेत्रों में परिवर्तनकारी विकास को गति दे रहा है। ऐसे में डिजिटल समावेशन वर्तमान समय की एक उभरती आवश्यकता है। डिजिटल समावेशन के अवसरों के साथ-साथ भारत के सन्दर्भ में इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन्हें संबोधित किया जाना आवश्यक है।

14 सितंबर, 2023 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 'उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन' (Digital Inclusion in the Era of Emerging Technologies) नामक विषय पर एक परामर्श-पत्र जारी किया। परामर्श-पत्र का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों की तीव्र प्रगति द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों एवं अवसरों का पता लगाना तथा उनका समाधान करना है।

* इस पत्र में समाज एवं उद्योगों के सभी क्षेत्रों विशेष रूप से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए समावेशिता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कनेक्टिविटी रोजमर्रा के कार्यों जैसे जानकारी तक पहुंच, बुनियादी सेवाएं प्राप्त करना, दूर से काम करना (Work from Distant), शिक्षा प्राप्त करना, वित्तीय लेन-देन करना और प्रियजनों के साथ जुड़े रहने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करती है। सरकार ने संपूर्ण देश में कनेक्टिविटी एवं डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें लागू की हैं। फिर भी, यह देखा गया है कि इंटरनेट ब्रॉडबैंड की पहुंच और समाज के विभिन्न वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों में इसके प्रभावी उपयोग में असमानताएं अभी भी बनी हुई हैं।
* निम्न साक्षरता एवं आय स्तर, भौगोलिक प्रतिबंध, प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति प्रेरणा की कमी, प्रौद्योगिकी तक भौतिक पहुंच की कमी तथा डिजिटल निरक्षरता जैसे कारक डिजिटल विभाजन (Digital Divide) में योगदान करते हैं। डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) से एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया जा सकता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा तथा न्यायसंगत एवं सुलभ डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

डिजिटल समावेशन तथा डिजिटल विभाजन

✓ **डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion)**

* इसे 'प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जगह डिजिटल प्रौद्योगिकियों, सेवाओं और संबंधित अवसरों के उपयोग, नेतृत्व एवं डिजाइन तक न्यायसंगत, सार्थक और सुरक्षित पहुंच' के रूप में परिभाषित किया गया है।
* डिजिटल समावेशन के तहत उन नीतियों एवं कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है, जो जाति, लिंग, आय या क्षमता के बिना इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करते हैं।
* डिजिटल समावेशन उन विभिन्न बाधाओं को ध्यान में रखकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, जिनका लोगों द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुँचने तथा उपयोग के समय सामना करना पड़ता है।
* डिजिटल समावेशन के 4 अन्योन्याश्रित तत्व हैं:
  - **पहुंच:** निवास तथा कार्य स्थलों पर किफायती डिजिटल उपकरणों एवं इंटरनेट तक पहुंच।
  - **कौशल:** डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का उपयोग करने संबंधी आत्मविश्वास तथा क्षमता निर्माण।
  - **प्रेरणा:** इंटरनेट एवं डिजिटल तकनीक से जुड़ने, सीखने तथा अवसरों तक पहुंचने संबंधी समझ को विकसित करना।
  - **विश्वास:** डिजिटल साक्षरता कौशल को प्राप्त करना, ताकि विभिन्न प्रकार के स्कैम, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा गलत सूचनाओं से बचा जा सके।
* डिजिटल समावेशन द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षित करने तथा उन्हें सम्मान देने में मदद मिलती है। यही कारण है कि समावेशी डिजिटल पहुंच स्थापित करना इस संदर्भ में निर्मित की जाने वाली नीतियों की प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए।

✓ **डिजिटल विभाजन (Digital Divide)**

* डिजिटल विभाजन उस स्थिति को प्रदर्शित करता है, जब जनसंख्या के किसी एक निश्चित भाग के पास आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक पहुंच होती है, जबकि एक दूसरा भाग इस प्रकार की आधुनिक सुविधाओं की पहुंच से दूर होता है। इन तकनीकों में टेलीफोन, टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल हैं।
* इस डिजिटल विभाजन से देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के बाधित होने का खतरा रहता है। भारत में यह विभाजन सामान्य रूप से अमीर एवं गरीब लोगों तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मध्य देखने को मिलता है।

हिंद महासागरीय क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां

क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता हेतु राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता

• संपादकीय डेस्क

हिंद महासागरीय क्षेत्र का विशाल आकार सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के उत्पन्न होने पर खोज और बचाव कार्यों को जटिल बनाता है। इसके कारण समुद्री आपात स्थितियों तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रतिक्रिया करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्ग स्थित हैं, जिनमें मलक्का जलडमरूमध्य एवं होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे शिपिंग लेन तथा चोकपॉइंट शामिल हैं।

हाल ही में, सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) द्वारा गुरुग्राम में समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला (Maritime Information Sharing Workshop - MISW) का आयोजन किया गया।

- इस कार्यशाला में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association: IORA) और जिबूती आचार संहिता/जेद्दा संशोधन (Djibouti Code of Conduct/ Jeddah Amendment) का प्रतिनिधित्व करने वाले 26 देशों के 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री सुरक्षा के महत्व एवं इसके मार्ग की चुनौतियों पर चर्चा की गई।
- 21वीं शताब्दी में चीन के आर्थिक एवं राजनीतिक महाशक्ति के रूप में उभरने के साथ ही व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हिंद महासागरीय क्षेत्र में वैश्विक गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिली है। नौसैनिक एवं मालवाहक जहाजों के निरंतर आवागमन से हिंद महासागर क्षेत्र शक्ति प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है।
- इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने तथा व्यापारिक गतिविधियों के संचालन हेतु इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) तथा क्वॉड (QUAD) जैसे समूहों का गठन किया गया है। अमेरिका एवं चीन जैसी विश्व की अग्रणी शक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा तथा सशस्त्र समुद्री डकैती के कारण इस क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।

हिंद महासागर क्षेत्रः आर्थिक एवं सामरिक महत्व

- हिंद महासागर का विशाल समुद्री विस्तार है जो अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इससे संबद्ध महाद्वीपीय तटरेखा, द्वीप और द्वीपसमूह अपने विविधतापूर्ण भूगोल के लिए जाने जाते हैं।

✓ आर्थिक महत्व

हिंद महासागर क्षेत्र जलीय कृषि पर्यटन सहित विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, जो अग्रलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है-

- **व्यापारः** हिंद महासागर, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। यह यूरोप, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है।
  - विश्व का लगभग 80 प्रतिशत समुद्री तेल व्यापार इस महासागर से होकर गुजरता है, जिसमें 40 प्रतिशत होर्मुज जलडमरूमध्य से, 35 प्रतिशत मलक्का जलडमरूमध्य से और 8 प्रतिशत बाब अल-मंडेब से होकर गुजरता है।
- **तेल और गैसः** हिंद महासागर क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस भंडार से समृद्ध है। यह संसाधन विशेष रूप से फारस की खाड़ी व सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात के एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
- **खनिज पदार्थः** हिंद महासागर का समुद्र तल अनेक बहुमूल्य खनिजों का एक संभावित स्रोत है, जिसमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, फेरोमैंगनीज क्रस्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल हैं।
  - भारत सरकार ने 2002 में मध्य हिंद महासागर बेसिन से निकेल, कोबाल्ट, तांबा और मैंगनीज युक्त पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज के लिए अंतरराष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण (International Seabed Authority) के साथ 15 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।

in फोकस

- 106वां संविधान संशोधन अधिनियम : लैंगिक समानता एवं सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
- भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा : अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी तथा आर्थिक एकीकरण का एक बेहतर विकल्प
- वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन : नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नए मंच का महत्व एवं चुनौतियां

106वां संविधान संशोधन अधिनियम

लैंगिक समानता एवं सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

28 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 [Constitution (106th Amendment) Act 2023] को मंजूरी दे दी।

- ❖ संसद में इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक, 2023 के रूप में पेश किया गया था। इसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम भी दिया गया है।
- ❖ विधेयक के रूप में इसे 20 सितंबर, 2023 को लोक सभा में तथा 21 सितंबर, 2023 को राज्य सभा में पारित किया गया था।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- ❖ **महिलाओं के लिए आरक्षण:** यह अधिनियम लोक सभा, राज्य विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए यथासंभव एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है।
  - ✦ यह लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।
- ❖ **तीन नए अनुच्छेद:** अधिनियम, अनुच्छेद 239AA (दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान) में संशोधन का प्रस्ताव करता है तथा तीन नए अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 330A, 332A और 334A को शामिल करता है।
- ❖ **आरक्षण की शुरुआत:** यह आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद आयोजित होने वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद ही प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। इस तरह, 2024 के आम चुनाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण उपलब्ध नहीं होगा।
- ❖ **आरक्षण की अवधि:** महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि, यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा।
- ❖ **सीटों का रोटेशन :** महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेट किया जाएगा।

परिसीमन को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन

- ❖ आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन एक पूर्व शर्त है तथा इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) में संशोधन करना होगा।
- ❖ अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद लोक सभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तथा सीमाओं के पुन: समायोजन का प्रावधान करता है।
- ❖ जबकि, अनुच्छेद 170(3) विधान सभाओं की संरचना से संबंधित है।

स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण

- ➢ भारत में पंचायती राज संस्थानों में महिला आरक्षण पहले से ही लागू है।
- ➢ संविधान का अनुच्छेद 243D (73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत शामिल) पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- ➢ अनुच्छेद 243D के प्रावधानों के अनुसार, एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या में से एक तिहाई से कम सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगी।
- ➢ सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2021 की स्थिति तक भारत के 18 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रतिशत 50% से अधिक था।
  - ✦ **ये 18 राज्य हैं:** उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मणिपुर, तेलंगाना, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश।
- ➢ उपर्युक्त में से महिला प्रतिनिधियों का उच्चतम अनुपात उत्तराखंड (56.02%) और सबसे कम उत्तर प्रदेश (33.34%) में था।

महिला आरक्षण के संभावित परिणाम

- ❖ वर्तमान में लोक सभा में 82 महिलाएं हैं जो कुल सदस्यों का महज 15% हैं; यह तथ्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक असमानता की स्पष्ट और परेशान करने वाली तस्वीर पेश करता है। भारत के चुनावी इतिहास के 70 से अधिक वर्षों में महिला सांसदों की हिस्सेदारी कभी भी 15% से अधिक नहीं रही है।
- ❖ अधिनियम के तहत आरक्षण लागू होने से लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जिससे नीति-निर्माण में महिलाओं की भूमिका सशक्त होगी।

न्यायपालिका

- सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के साथ एकीकरण
- पुलिस ब्रीफिंग पर मैनुअल बनाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- सुब्रमण्यम स्वामी वाद के निर्णय का पूर्वव्यापी प्रभाव

कार्यक्रम एवं पहल

- सागर परिक्रमा चरण-VIII
- स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023
- आयुष्मान भव अभियान
- क्षमता निर्माण योजना
- मानक क्लबों की स्थापना
- 'ट्रैवल फॉर लाइफ' अभियान

राजव्यवस्था एवं शासन

- जेल सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति

राष्ट्रीय सुरक्षा

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम [AFSPA]

नियम एवं दिशा-निर्देश

- केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन
- प्रतिबंधित संगठनों को मंच न प्रदान करने की सलाह

न्यूज बुलेट्स

न्यायपालिका

सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के साथ एकीकरण

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 14 सितंबर, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid: NJDG) पोर्टल के साथ सुप्रीम कोर्ट के वास्तविक समय के केस डेटा के एकीकरण की घोषणा की।

- इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामलों की फाइलिंग और निपटान का वास्तविक समय डेटा (Real-time data) अब आम आदमी के समक्ष उपलब्ध होगा।
- प्रधान न्यायाधीश ने न्यायालय की 'ओपन डेटा पॉलिसी' के तहत एनजेडीजी पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट के डेटा को शामिल करने को "न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम" बताया।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) क्या है?

- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह पोर्टल देश भर की अदालतों द्वारा शुरू किए गए, **लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक राष्ट्रीय भंडार** है।
- एनजेडीजी **18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डेटाबेस है,** जिसे ई-कोर्ट परियोजना (e-Courts Project) के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में विकसित किया गया है।
- इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें डेटा वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है और इसमें तालुका स्तर तक का विस्तृत डेटा उपलब्ध होता है।
- एनजेडीजी को ई-कोर्ट परियोजना के चरण II के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा 'सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के कंप्यूटर सेल' (Computer Cell, Registry of the Supreme Court) की इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ निकट समन्वय में विकसित किया गया है।
- वर्तमान में, इस प्लेटफार्म के माध्यम से 23.81 करोड़ मामलों और 23.02 करोड़ से अधिक आदेशों एवं निर्णयों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

एनजेडीजी के लाभ

- **पहचान एवं प्रबंधन :** एनजेडीजी मामलों की पहचान, प्रबंधन एवं लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- **नीति निर्माण में इनपुट :** यह मामलों के निपटान में देरी को कम करने हेतु नीतिगत निर्णय लेने के लिए समय पर इनपुट प्रदान करता है तथा लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है।
- **प्रदर्शन विश्लेषण :** यह न्यायालय के प्रदर्शन और प्रणालीगत बाधाओं की बेहतर निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है तथा इस प्रकार, एक कुशल संसाधन प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- **सरकार तक आसान पहुंच:** विभागीय आईडी और एक्सेस कुंजी का उपयोग करके एनजेडीजी डेटा तक आसान पहुंच की अनुमति देने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार को ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) प्रदान किया गया है।

ई-कोर्ट परियोजना चरण III को मंजूरी

- 13 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2023 से आगे अगले 4 वर्षों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई-कोर्ट परियोजना चरण III (e-Courts Project Phase III) को मंजूरी दी।

सामाजिक परिदृश्य

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- उच्चतर शिक्षा में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का कार्यान्वयन' रिपोर्ट
- स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-2023 रिपोर्ट
- इंडिया एजिंग रिपोर्ट: 2023

कार्यक्रम एवं पहल

- श्रेयस नेशनल फेलोशिप योजना
- 'CRIIIO 4 गुड' मॉड्यूल का शुभारंभ

अति-संवेदनशील वर्ग

- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आरंभ की गई पहलें
- अमान्य विवाह से जन्में बच्चों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार
- जनजातियों की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण प्रोफाइल

स्वास्थ्य

- आयुष्मान भारत अभियान तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज: 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट

विविध

- मनरेगा तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयों की स्थिति
- अर्बनशिफ्ट एशिया फोरम

न्यूज बुलेट्स

रिपोर्ट एवं सूचकांक

उच्चतर शिक्षा में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का कार्यान्वयन' रिपोर्ट

21 सितंबर, 2023 को 'शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति' द्वारा 'उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन' (Implementation of NEP 2020 in Higher Education) पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

- राज्य सभा सांसद **विवेक ठाकुर** की अध्यक्षता वाली इस संसदीय समिति ने कहा है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में **एकाधिक प्रवेश एवं निकास** (Multiple Entry and Exit) विकल्प भारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। समिति ने केंद्र सरकार को सभी हितधारकों के साथ इस पर चर्चा करने की सलाह दी है।
- यह विकल्प एक छात्र को अपना पाठ्यक्रम छोड़ने और सुविधाजनक होने पर इसे पुन: आरंभ करने की अनुमति देता है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ एक छात्र नौकरी ढूंढने और पैसे कमाने के लिए पाठ्यक्रम से बाहर जा सकता है, जिससे पढ़ाई फिर से शुरू की जा सके।
- समिति के अनुसार, **'पर्सनलाइज्ड एवं अंतर विषयक लर्निंग'** (Personalized and interdisciplinary learning) के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में **'डिजाइन योर डिग्री'** (Design Your Degree) कार्यक्रम की शुरुआत की जानी चाहिए। ऐसा ही एक कार्यक्रम जम्मू विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है।
- छात्रों को **स्थानीय आवश्यकताओं एवं भाषाओं के अनुरूप** शैक्षिक सामग्री विकसित एवं वितरित की जानी चाहिए।
- समिति ने यह भी सिफारिश की है कि हासिये पर रहने वाले समुदायों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में **अनुसंधान एवं नवाचार** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-2023 रिपोर्ट

हाल ही में, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के 'सेंटर फॉर सस्टेनेबल इंप्लॉयमेंट' (Center for Sustainable Employment) द्वारा 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-2023' रिपोर्ट जारी की गई।

- रिपोर्ट जाति, लिंग और शिक्षा जैसे कारकों के आधार पर रोजगार के अवसरों में असमानताओं पर प्रकाश डालती है। ये असमानताएं अक्सर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का प्रतिबिंब होती हैं।
- रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि **किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान उसके लिए अवसरों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती** है।
- रिपोर्ट के अनुसार **जाति, लिंग और धर्म** के अलावा व्यक्ति की कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहचान भी हैं, जो अवसरों के निर्धारण में मायने रखती हैं। इनमें **नृजातीयता, नस्ल, भाषाई पृष्ठभूमि तथा लैंगिक रुझान** आदि शामिल हैं।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि **नियमित पारिश्रमिक** वाले कर्मियों या वेतन भोगी कर्मियों की हिस्सेदारी वर्ष 2004 के बाद तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2018 में पुरुषों के संदर्भ में यह 18% से बढ़कर 25% और महिलाओं के मामले में यह 10% से बढ़कर 25% हो गई।
- **अनियमित पारिश्रमिक** (Casual Wage) वाले कामगारों के पुत्रों के अनियमित रोजगार में जाने की प्रवृत्ति कम हुई है तथा उनके बेहतर रोजगार में जाने की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। हालांकि इस प्रकार की प्रवृत्ति में अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजातियों (ST) के मामले में कम सुधार देखने को मिला है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेरज** जैसे कार्यों में समय के साथ अनुसूचित जाति की भागीदारी कम हुई है, किंतु यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।
- रिपोर्ट के अनुसार, **लैंगिक मानदंड** अभी भी महिलाओं के रोजगार को निर्धारित करते हैं। यह देखने को मिला है कि यदि पति की कमाई अधिक है तो फिर पत्नी द्वारा नौकरी करने की संभावना कम रहती है।

विरासत एवं संस्कृति

कार्यक्रम एवं पहल

♦ पुरातत्व संरक्षण से संबंधित ASI की विभिन्न पहलें

कला के विविध रूप

♦ पश्चिम बंगाल का राज्य गान

♦ जी-20 सम्मेलन में जनजातीय शिल्प कौशल का प्रदर्शन

मंदिर एवं स्मारक

♦ चौंसठ योगिनी मंदिर

सांस्कृतिक आयोजन

♦ दिव्य कला मेला

♦ वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी

विविध

♦ संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार

न्यूज बुलेट्स

विरासत स्थल

♦ भारत के नए विश्व विरासत स्थल

विरासत स्थल

भारत के नए विश्व विरासत स्थल

हाल ही में शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) तथा होयसल के पवित्र स्मारकों के समूह (Sacred Ensembles of Hoysalas) को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।

शांतिनिकेतन

- इसको यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, जो ऐतिहासिक महत्व का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और विरासत स्थल है।
  - यह महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। इसे विश्वविद्यालय शहर के रूप में भी जाना जाता है।
- **सांस्कृतिक महत्वः** शांतिनिकेतन की स्थापना ब्रह्मचर्य आश्रम मॉडल के आधार पर एक विद्यालय के रूप में की गई थी, जिससे नंदलाल बोस, रामकिंकर जैसे महान भारतीय कलाकार संबद्ध रहे।
  - रवींद्रनाथ टैगोर ने कई साहित्यिक रचनाएं इसी स्थान पर की जिसमें टैगोर गीत, कविताएं, उपन्यास आदि शामिल हैं।
  - शांतिनिकेतन एक अद्वितीय सांस्कृतिक गंतव्य है, जहां रवींद्रनाथ टैगोर ने वास्तुकला, कला सहित विभिन्न कला का शिक्षण प्रदान किया जाता रहा है।
  - शांतिनिकेतन परिसर रवीन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रामकिंकर, बिनोदबिहारी मुखोपाध्याय जैसे महान भारतीय कलाकारों की शानदार कलाकृतियों से सुशोभित है।

होयसल के पवित्र स्मारक

- यह भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके अंतर्गत होयसलेश्वर मंदिर (हलेबिड), चन्नाकेशव मंदिर (बेलूर) और केशव मंदिर (सोमनाथपुर) को शामिल किया गया है।
  - ये कर्नाटक में होयसला राजवंश के 12-13वीं सदी में निर्मित मंदिर है जो अपने अद्भुत वास्तुकला और कलात्मक रचनात्मकता को दर्शाते हैं।
- होयसल मंदिरों में एक मूलभूत द्रविड़ आकारिकी (Darvidian morphology) प्रयुक्त की गई है किन्तु यहां मध्य भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भूमिजा पद्धति (Bhumija mode), उत्तरी और पश्चिमी भारत की नागर परंपरा (Nagara traditions) और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्थित कर्नाटक द्रविड़ पद्धति (Karnata Dravida modes) के सुस्पष्ट एवं सुदृढ़ प्रभाव भी दृष्टिगोचर हैं।

✓ **होयसलेश्वर मंदिर**

- होयसलेश्वर मंदिर को हलेबिड मंदिर (Halebid temple) के रूप में भी जाना जाता है, जो शिव को समर्पित 12वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है।
  - मंदिर 1121 ई. में होयसल राजा, विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह मंदिर दीवार में बनाई गई 240 से अधिक मूर्तियों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है।
- **सांस्कृतिक महत्वः** यह मंदिर जटिल नक्काशी, बारीक मूर्तियों से सुसज्जित है। तारे के आकार की वास्तुशिल्प योजना इसकी प्रमुख विशेषता है।

✓ **चेन्नाकेशव मंदिर**

- चेन्नाकेशव मंदिर को बेलूर के विजयनारायण मंदिर (Vijayanarayana Temple) के रूप में भी जाना जाता है। यह कर्नाटक में 12वीं सदी का हिंदू मंदिर है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है।
  - मंदिर को 1117 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन द्वारा बेलूर में यागाची नदी (Yagachi River) के तट पर बनाया गया था। बेलूर को वेलापुर (Velapura) भी कहा जाता है, जो प्रारंभिक होयसल साम्राज्य की राजधानी थी।
- **सांस्कृतिक महत्वः** इस मंदिर का उच्चतम शिखर पर 37 मीटर ऊंचा है। इसकी बाहरी दीवारें बारीक कलाकृति से सजी हैं, जिनमें विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करती लड़कियां और घोड़े, हाथी और शेर जैसे जानवर हैं।

आर्थिक विकास एवं परिदृश्य

अवसंरचना

- नेटवर्किंग एवं दूरसंचार उपकरण विनिर्माण : TRAI की सिफारिशें
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन
- भारत-यूनाइटेड किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज
- राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं विस्तार पर रिपोर्ट

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की चक्रीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट
- खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के विकल्पों पर अध्ययन
- इंडिया क्लस्टर पैनोरमा रिसर्च पेपर-2023
- 'एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग: ए न्यू नैरेटिव' दस्तावेज

वित्त क्षेत्र

- विलफुल डिफॉल्टर्स एवं लार्ज डिफॉल्टर्स के साथ व्यवहार संबंधी दिशा-निर्देश
- बड़े निगमों को ऋण बाजार से धन प्राप्त करने के नियमों में सुगमता

मुद्रा एवं बैंकिंग

- बेसल-III कैपिटल फ्रेमवर्क
- बैंकिंग प्रणाली में पिछले 4 वर्षों में तरलता में सर्वाधिक कमी
- यूपीआई के तहत नवीन पहलों का शुभारंभ
- यूपीआई आधारित क्यूआर कोड-सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
- 15 एनबीएफसी अतिरिक्त नियामकीय व्यवस्था के अधीन

बौद्धिक संपदा अधिकार

- पेटेंट (संशोधन) नियम-2023 मसौदा

उद्योग एवं व्यापार

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर ICRIER का सर्वेक्षण
- भारत द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध : WTO में आपत्ति

वित्तीय समावेशन

- भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार

करारोपण एवं कर-अपवंचन

- आर्थिक अपराधियों से 1.8 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति बरामद
- धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 में संशोधान

विविध

- पुरानी पेंशन योजना पर रिजर्व बैंक की सलाह
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति : मुख्य विशेषताएं एवं प्रगति

न्यूज बुलेट्स

अवसंरचना

नेटवर्किंग एवं दूरसंचार उपकरण विनिर्माण : TRAI की सिफारिशें

हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा 'नेटवर्किंग एवं दूरसंचार उपकरण विनिर्माण' (Networking and Telecommunications Equipment Manufacturing: NATEM) को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें जारी की गईं।

- नेटवर्किंग एवं दूरसंचार उपकरण विनिर्माण (NATEM) क्षेत्र में संचार और डेटा ट्रांसमिशन के लिए अलग-अलग हार्डवेयर के उत्पादन को शामिल किया जाता है। इनमें राउटर, मॉडेम, टर्मिनल एंटीना, केबल जैसे कुछ उपकरण आते हैं।
- TRAI द्वारा सिफारिश की गई है कि **सार्वजनिक निजी-भागीदारी (PPP) मॉडल** के तहत 1,000 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी के साथ एक समर्पित **दूरसंचार सॉफ्टवेयर विकास कोष** (Telecom Software Development Fund) स्थापित किया जाना चाहिए।
- इसी प्रकार, एक **'सहवर्ती उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन'** (Concurrent PLI) योजना आरंभ की जानी चाहिए। यह योजना सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए उपकरण घटकों के विनिर्माण पर केंद्रित होनी चाहिए।
- TRAI के अनुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्वदेशी रूप से निर्मित उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए वार्षिक निवल आधार पर उनके 'प्रयोज्य सकल राजस्व' (Applicable Gross Revenue) को काम किया जाना चाहिए।
  - 'एप्लीकेबल ग्रॉस रिवेन्यू' दूरसंचार कंपनियों द्वारा अर्जित सभी गैर-दूरसंचार राजस्व को उनके सकल राजस्व से घटाकर प्राप्त किया जाता है।
  - 'एप्लीकेबल ग्रॉस रिवेन्यू' कम होने से लाइसेंस शुल्क भी कम देना होगा।
- स्वदेशी उपकरणों के निर्यातकों को समर्थन देने के लिए **निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं का उदारीकरण** किया जाना चाहिए।
- अन्य सिफारिशों में, ब्याज में छूट देने के लिए एक **'डॉटर फंड'** (Daughter Fund) का निर्माण करना; बौद्धिक संपदा अधिकार-धारित कंपनियों को **कर राहत** प्रदान किया जाना तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि पर आधारित **ऑटोमेशन उपकरण विकसित करना** शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय संबंध व संगठन

बैठक एवं सम्मेलन
- मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम
- 20वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन तथा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
- 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग- दक्षिण एशिया सम्मेलन
- किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी
- G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन

रिपोर्ट एवं सूचकांक
- वैश्विक नवाचार सूचकांक-2023
- विश्व खाद्य कार्यक्रम की हंगरमैप लाइव रिपोर्ट
- 'प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स: जेंडर्स स्नैपशॉट-2023'

वैश्विक पहल
- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का ड्राफ्ट लीगल इंस्ट्रूमेंट

द्विपक्षीय संबंध
- भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की प्रथम बैठक

न्यूज बुलेट्स

मानचित्र के माध्यम से
- नागॉर्नो-कराबाख क्षेत्र
- साहेल क्षेत्र
- मराकेश

बैठक एवं सम्मेलन

मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम

20 सितंबर, 2023 को भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा नई दिल्ली में 'मानवाधिकारों पर एशिया प्रशांत फोरम' (Asia Pacific Forum on Human Rights) की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।

एशिया पैसिफिक फोरम के संदर्भ में

- एशिया पैसिफिक फोरम (Asia Pacific Forum-APF) **राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन** (Global Alliance of National Human Rights Institutions-GANHRI) के तहत NHRIs के **चार क्षेत्रीय नेटवर्क में से एक** है। NHRI के अन्य 3 क्षेत्रीय समूह हैं:
  - अफ्रीकी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का नेटवर्क (NANHRI)
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का यूरोपीय नेटवर्क (ENNHRI)
  - अमेरिकी राष्ट्रीय संस्थानों का नेटवर्क (ANSI)

- **स्थापना:** APF को वर्ष **1996 में स्थापित** किया गया था। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी भागों के 26 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (वर्तमान में अफगानिस्तान निलंबित है) का गठबंधन है।
  - इसमें **17 पूर्ण सदस्य और 08 सहयोगी सदस्य** शामिल हैं। भारत वर्ष 1996 से ही इसका पूर्ण सदस्य है।
- **सदस्यता की स्थिति:** APF की **'पूर्ण सदस्यता'** (Full Membership) GANHRI द्वारा मान्यता प्राप्त **'ए स्थिति'** (A Status) के समान है तथा APF की **'सहयोगी सदस्यता'** (Associate Membership) 'बी स्थिति' (B Status) की GANHRI मान्यता के बराबर है।
  - पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए NHRI को पेरिस सिद्धांतों में निर्धारित न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय मानकों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (GANHRI)

- इसकी स्थापना **वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति** (ICC) के रूप में की गई थी।
- इसका **उद्देश्य मानवाधिकारों का प्रचार-प्रसार और संरक्षण** करना है। वर्ष 2016 में इसका नाम बदलकर GANHRI कर दिया गया।
- GANHRI राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (NHRI) का **एक वैश्विक नेटवर्क** है। इसे स्विस कानून के तहत एक **गैर-लाभकारी इकाई** (Non-Profit Entity) के रूप में गठित किया गया है।
- इसमें वर्तमान समय में 120 सदस्य शामिल हैं। जिनमें से 88 को 'A' स्टेटस जबकि 22 को 'B' स्टेटस प्रदान किया गया है। **भारत की सदस्यता 'A' स्टेटस** के रूप में है।

20वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन तथा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

7 सितंबर, 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (20th ASEAN-India Summit) और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (18th East Asia Summit) में भागीदारी की गई।

जलवायु परिवर्तन

- कार्बन बजट में उचित हिस्सेदारी
- कार्बन उत्सर्जन एवं मानव पर इसके प्रभाव
- जलवायु से बच्चों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति के दिशानिर्देश

वन्यजीव संरक्षण

- भारत के हाथी गलियारों पर रिपोर्ट
- आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर रिपोर्ट

जैव विविधता

- यूरोपीय बम्बलबी की प्रजातियों पर खतरा

पर्यावरण संरक्षण

- हिमालयी राज्यों में स्थित शहरों की वहन क्षमता
- इंटेलिजेंट वॉटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट : तमारा

न्यूज बुलेट्स

पर्यावरणीय प्रदूषण एवं अवनयन

- वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023
- प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित वैश्विक संधि का मसौदा
- हीटवेव के कारण ओजोन प्रदूषण

पर्यावरणीय प्रदूषण एवं अवनयन

वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023

हाल ही में, शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (Energy Policy Institute) द्वारा वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, 2023 [Air Quality Life Index (AQLI) 2023] नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

- इस रिपोर्ट में 2021 के पार्टिकुलेट मैटर डेटा का विश्लेषण किया गया है तथा बताया गया है कि पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 जैसे हानिकारक प्रदूषक इंसान को कैसे प्रभावित करते हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- **वायु प्रदूषण एवं जीवन प्रत्याशाः** वायु प्रदूषण पृथ्वी पर मानव जीवन प्रत्याशा के लिए सबसे बड़ा बाह्य खतरा है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा पर पी. एम. 2.5 का दुष्प्रभाव धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बराबर है।
  - साथ ही यह नुकसान शराब और असुरक्षित पानी के उपयोग से होने वाले नुकसान से 3 गुना से अधिक है।

✓ **भारतीय परिदृश्य**

- **उच्च कण प्रदूषण सांद्रताः** विश्व के सभी देशों में से, भारत को वायु प्रदूषण से सबसे अधिक स्वास्थ्य बोझ (Greatest Health Burden) का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उच्च कण प्रदूषण सांद्रता (High Particulate Pollution Concentrations) से देश की एक बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो रही हैं।
- **सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रः** भारत का सबसे प्रदूषित क्षेत्र उत्तरी मैदान है, जहां आधे अरब से अधिक लोग और देश की 38.9 प्रतिशत आबादी रहती है।
- **जीवन प्रत्याशाः** यदि डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो औसत भारतीय निवासी की जीवन प्रत्याशा 5.3 वर्ष कम हो सकती है।
  - उत्तरी मैदान क्षेत्र में, यदि प्रदूषण का स्तर बना रहा तो औसत निवासी लगभग 8 वर्ष की जीवन प्रत्याशा खोने की राह पर है।
  - राजधानी दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित मेगासिटी है, जिसका वार्षिक औसत कण प्रदूषण 126.5 µg/m3 है, जो WHO दिशा-निर्देश से 25 गुना अधिक है।

✓ **वैश्विक परिदृश्य**

- **विश्व के विभिन्न देशों की स्थिति**
  - **अफ्रीका में प्रदूषणः** कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा, बुरुंडी और कांगो गणराज्य विश्व के 10 सबसे प्रदूषित देशों में से हैं।
  - **चीनः** 2013 से चीन में वायु प्रदूषण के स्तर में 42.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। इन सुधारों के कारण, औसत चीनी नागरिक के 2.2 वर्ष अधिक जीने की उम्मीद है।
  - **लैटिन अमेरिकाः** लैटिन अमेरिका के सबसे प्रदूषित क्षेत्र ग्वाटेमाला, बोलीविया और पेरू में स्थित हैं। यदि ये क्षेत्र वायु गुणवत्ता से संबंधित डब्ल्यूएचओ दिशा-निर्देशों का पालन करें तो यहां औसत निवासी की जीवन प्रत्याशा 3 से 4.4 वर्ष बढ़ सकती है।
  - **दक्षिण एशिया में प्रदूषणः** बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के चार सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं, जहां विश्व की लगभग एक-चौथाई आबादी रहती है।
    - बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में, निवासियों की जीवन प्रत्याशा औसतन लगभग 5 वर्ष कम होने की आशंका है।
    - उच्च प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर नष्ट हुए कुल जीवन वर्षों (total life years lost globally due to high pollution) में से 52.8 प्रतिशत दक्षिण एशिया में हुए हैं।

पत्रिका सार

योजना (सितंबर 2023)

- सिविल सेवा में सुधार
- भारत में वित्तीय प्रशासन और जवाबदेही
- उपभोक्ताओं और व्यवसायों के हितों की रक्षा
- महिला सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ते कदम

कुरुक्षेत्र (सितंबर 2023)

- भारत में मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा
- 2047 के विकसित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की मजबूत सीढ़ी
- अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा
- खाद्य प्रसंस्करण: विकास और संभावनाएं

विज्ञान प्रगति (सितंबर 2023)

- 'यूक्लिड' टेलीस्कोप एवं डार्क मैटर
- ओजोन क्षरण एवं मानव तथा प्रकृति पर प्रभाव

यह खंड सितंबर 2023 अंक की योजना, कुरुक्षेत्र एवं विज्ञान प्रगति पत्रिका पर आधारित है। इसके अंतर्गत हमने इन पत्रिकाओं का केवल सार-सारांश (Gist) प्रस्तुत करने के बजाय परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण के साथ यथोचित अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों को समाहित करते हुए अध्ययन सामग्री का प्रस्तुतीकरण किया है। यह अध्ययन सामग्री मुख्य परीक्षा के साथ-साथ प्रारंभिक परीक्षा हेतु भी महत्वपूर्ण है।

योजना (सितंबर 2023)

सिविल सेवा में सुधार

लोकतांत्रिक सरकार में सिविल सेवा एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस पर नीतियों को तैयार करने, कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने, कार्यपालिका और विधायी शासन प्रणाली की सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

- भारत का नौकरशाही तंत्र विशाल भौगोलिक क्षेत्रों तथा विविधतापूर्ण सामाजिक संदर्भों में कार्य करता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में मध्य और निचले स्तर पर मजबूत और सक्षम सिविल सेवकों की आवश्यकता है; इसलिए प्रत्येक सिविल सेवक के स्तर पर क्षमता-निर्माण पर जोर दिया जा रहा है।
- वर्तमान समय में कुछ विशेषज्ञ सिविल सेवा में देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं पर बल देते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहलें प्रारंभ की गई हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:
  - **मिशन कर्मयोगी:** यह राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity Building- NPCSCB) है। यह कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र में व्यापक सुधार है।
  - **प्रशिक्षण:** इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑन-लाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म द्वारा 2020 के अप्रैल-मई के दौरान 8 से 10 सप्ताह से भी कम समय में प्रमाणित पाठ्यक्रमों पर लगभग 1.5 मिलियन सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया गया।
  - **ई-समीक्षा:** यह महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में शीर्ष स्तर पर सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों के आधार पर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिये एक वास्तविक समय ऑनलाइन प्रणाली है।
  - **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन:** इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस सेवा वितरण की दक्षता पर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों का आकलन करना है। इसके माध्यम से मंत्रालयों के कार्य के बारे में समय पर समीक्षा कर सुधार किया जा सकता है।
  - **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली:** यह लोक शिकायत निदेशालय (DPG) तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली है।
  - **सिटीजन चार्टर:** सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों के लिये सिटीजन चार्टर अनिवार्य कर दिया है, जिन्हें नियमित आधार पर अपडेट करने के साथ ही समीक्षा भी की जाती है। इसके माध्यम से एक नागरिकों को समयबद्ध तरीके से सेवाओं को प्रदान किया जाता है।

भारत में वित्तीय प्रशासन और जवाबदेही

भारतीय संविधान द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (Comptroller & Auditor General of India-CAG) के पद का सृजन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों निर्धारित की गई है।

- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (Comptroller & Auditor General of India-CAG) भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए संविधान के अंतर्गत सीएजी को विधायिका और कार्यकारिणी के प्रभाव से मुक्त रखने की व्यवस्था की गई है।
- अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। इसके माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिये सरकार एवं अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों (सार्वजनिक धन खर्च करने वाले) की जवाबदेही सुनिश्चित निम्नलिखित माध्यम से की जाती है:

संसद प्रश्नोत्तरी

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य: वनलाइनर रूप में

समेकित बाल विकास योजना (ICDS)

- आंगनवाड़ी सेवा स्कीम, पोषण अभियान और संशोधित किशोरी स्कीम किस मिशन के तहत शामिल है? - **मिशन पोषण 2.0**
- मिशन पोषण 2.0 कितने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में शुरू किया गया है? **- 36**
- वर्ष 2022-23 में लगभग कितने लाख आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं? **- लगभग 13.96 लाख**
- समेकित बाल विकास योजना के तहत सेवा वितरण की निगरानी के लिए कौन-सा एप्लिकेशन शुरू किया गया है - **पोषण ट्रैकर**
- 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले, कुपोषित और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के संदर्भ में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? **- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5(2019-21) के अनुसार देश में ठिगनेपन, दुबलेपन एवं कम वजन से ग्रसित संख्या है **- क्रमशः 35.5%, 19.3% तथा 32.1%**
- किस अभियान के तहत आंगनवाड़ी कर्मियों को स्मार्ट फोन प्रदान किए जा रहे हैं? **- पोषण अभियान**

तरल यूरिया उत्पादन संयंत्र

- वर्ष 2021-22 के 250.72 एलएमटी यूरिया उत्पादन की तुलना में वर्ष 2022-23 में कुल उत्पादन था **- 284.94 एलएमटी**
- वर्तमान में देश में कुल कितने नैनो यूरिया संयंत्र कार्यरत हैं? **- तीन (कलोल, फूलपुर तथा आंवला)**
- केंद्र का उर्वरक सब्सिडी भुगतान वित्त वर्ष 2011 में बजटीय राशि से 62% से बढ़कर हो गया है - **3 लाख करोड़ रूपये**
- नई यूरिया नीति 2015 का प्रमुख उद्देश्य है **- स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना**

टेली-मानस पहल

- टेली-मानस पहल के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी **- आईआईटी बॉम्बे द्वारा**
- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को पहली बार किस संस्थान की पहल पर मनाया गया था? **- वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ (1992 में)**
- अक्टूबर 2022 में सरकार द्वारा देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्चा सेवाओं तक पहुंच में सुधार हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? **- ''राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम''**

पोषण कार्यक्रम

- मिशन पोषण 2.0 का मुख्य उद्देश्य है **- मानव पूंजी का विकास करना तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण की कमी करना**
- आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए स्कीम को किस मिशन के तहत एकीकृत किया गया है? - **पोषण 2.0**
- पोषण 2.0 की चार प्रमुख कार्यनीतियां हैं-
  (i) **व्यवहार परिवर्तन एवं स्थानीय भागीदारी के लिए संचार**
  (ii) **पोषण जागरूकता**
  (iii) **पोषण से संबंधित कमियों का समाधान**
  (iv) **हरित पारिस्थितिकी सृजित करना।**
- राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पोषण माह देश भर में सितंबर माह में मनाया जाता है, जबकि पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है **- मार्च माह में**

क्षय रोग

- वर्ष 2023 में क्षय रोग उन्मूलन के लिये थीम है **- हां हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं**
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ किस संयुक्त पहल की शुरुआत की है? **- "फाइंड ट्रीट ऑल #EndTB"**
- सरकार द्वारा क्षय रोगियों के लिए कौन-सी योजना चलाई जा रही है? **- निक्षय मित्र योजना**
- भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है **- वर्ष 2025 तक**

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम

- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम में कितने उप-कार्यक्रम सम्मिलित हैं? **- तीन (अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास तथा बायोऊर्जा कार्यक्रम)**
- कार्यक्रम को दो चरणों में लागू करने की अनुशंसा की गई है। कार्यक्रम के चरण-I को कितना बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है? **- 858 करोड़. रुपये के**
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कब से कब तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) को अधिसूचित किया है? **- 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक**

नकदी फसलों हेतु एमएसपी

- सरकार किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित करती है? **- कृषि लागत और मूल्य आयोग**
- वर्तमान समय में कितनी फसलों पर एमएसपी लागू है? - **22**

प्रारंभिक परीक्षा

सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-2

प्रिय पाठक,

आगामी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 हेतु प्रस्तुत **प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक** के अंतर्गत हम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एवं राज्य लोक सेवा आयोगों (State PSCs) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री का प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं।

विगत 10-15 वर्षों में आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्नों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के उपरांत यह ज्ञात होता है कि प्रायः परीक्षा में प्रश्न (विशेषकर यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में) दोहराए नहीं जाते, बल्कि सामान्य अध्ययन में कई ऐसे विषय (Topic) हैं, जो अपने विशेष महत्व के कारण अक्सर दोहराए जाते हैं तथा इन विषयों के विभिन्न आयामों से प्रश्न पूछे जाते हैं।

तदनुसार हम नवंबर 2023 के इस अंक में **प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-2** के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के 31 अति महत्वपूर्ण विषयों (Topics) को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले अंक (अक्टूबर 2023) में हमने सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-1 प्रकाशित किया था।

सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक प्रारंभिक परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेगा, जिसमें भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण शामिल होंगे।

आशा है कि सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के दौरान यह सामग्री आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसके संबंध में आप अपना अनुभव हमारे साथ cschindi@chronicleindia.in पर साझा कर सकते हैं।

भविष्य के लिए शुभकामनाएं...

इतिहास एवं संस्कृति

1. वैदिक सभ्यताः सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 88
2. अशोक के शिलालेख 89
3. प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की सिक्का प्रणाली 92
4. मुगलकालीन भू-राजस्व प्रणाली 95
5. मुगलकाल में कला, वास्तुकला एवं साहित्य का विकास 97
6. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रस्ताव एवं मिशन 99

भूगोल

7. प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक पवन प्रणालियां 101
8. खनिजों के भंडार तथा उत्पादन : भारत एवं विश्व 102
9. प्रमुख महासागरीय धाराएं 104
10. भारत की मृदाएं : वर्गीकरण एवं विशेषताएं 107
11. भारत में जनजातियों का वितरण 109
12. भारत में पर्वत श्रंखलाएं एवं दर्रे 109

राजव्यवस्था

13. भारत के राष्ट्रपति : निर्वाचन एवं शक्तियां 115
14. महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय 116
15. भारत में अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार 119
16. लोक सभा : अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 120
17. भारत में न्यायिक समीक्षा 121
18. अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र : मानदंड एवं प्रशासन 123

अर्थव्यवस्था

19. न्यूनतम समर्थन मूल्य : कवरेज एवं तंत्र 125
20. भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाएं: घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय 126
21. भुगतान संतुलन 128
22. महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान 129
23. विरासत पर्यटन: भारत में थीम आधारित सर्किट 130

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

24. जैव-विविधता तथा वन्यजीव संरक्षण : अंतरराष्ट्रीय कानून एवं अभिसमय 132
25. प्रमुख वायु एवं जल प्रदूषक 134
26. भारत एवं विश्व में प्रवाल भित्तियां 136
27. वैकल्पिक ईंधन 138
28. पर्यावरण एवं जैव-विविधता: महत्वपूर्ण शब्दावली 140

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

29. ब्रह्मांडीय पिंड एवं परिघटनाएं 141
30. कृषि में उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग 143
31. भारत की स्वदेशी मिसाइल तकनीक 145

इतिहास एवं संस्कृति

वैदिक सभ्यताः सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था

वैदिक युग भारत के इतिहास में 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को संदर्भित करता है, जब उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में वेदों सहित समस्त वैदिक साहित्य लिखा गया था।

- यह सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी चरण के अंत और द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत के बीच अस्तित्व में था। द्वितीय शहरीकरण सिंधु-गंगा के मैदान के केंद्र में लगभग 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था।
- इस अवधि एवं संस्कृति को सिंधु घाटी में इंडो-आर्यन प्रवासन के लिए उत्तरदायी समझा जाता है।
- वैदिक सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में केंद्रित थी।

वैदिक काल

विवादित आर्य आक्रमण का विचार वैदिक युग के आरम्भ के निर्धारण से जुड़ा हुआ है। इस विचार के अनुसार, द्रविड़ों ने उत्तर भारत में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया होगा।

- 1500 ईसा पूर्व तक, हड़प्पा संस्कृति के शहरों का पतन हो गया था। परिणामस्वरूप, उनकी आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं धीरे-धीरे नष्ट हो गईं थीं।
- इस समयावधि को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:
  - प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल (1500 ईसा पूर्व - 1000 ईसा पूर्व)
  - उत्तर वैदिक काल (1000 ईसा पूर्व - 600 ईसा पूर्व)।

प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल

ऋग्वैदिक काल लगभग 1500-1000 ईसा पूर्व का सबसे पुराना प्रलेखित काल है।

- ऋग्वेद, अन्य किसी भी वैदिक पुस्तकों में सबसे प्राचीन है तथा इसमें भाषा और सामग्री दोनों में कई सामान्य इंडो-ईरानी विशेषताएं पाई जाती हैं, जो किसी भी अन्य वैदिक साहित्य में नहीं पाई जाती है।
- वैदिक आर्यों की विभिन्न कबीलों के मध्य सैन्य संघर्षों का विवरण ऋग्वेद में वर्णित है।
- ऐसे संघर्षों में सबसे उल्लेखनीय दस राजाओं का युद्ध (दशराज्ञ) था, जो परुष्णी नदी (आधुनिक रावी) के तट पर लड़ा गया था।
- भरत कबीला, अपने प्रमुख सुदास के नेतृत्व में, दस अन्य कबीलों के गठबंधन के साथ युद्ध लड़ा था।
- सुदास की दस राजाओं के युद्ध में विजय हुई। संघर्ष के बाद, भरत एवं पुरु ने मिलकर कुरु कबीला की नींव रखी।
- इसमें आर्यों और दासों तथा दस्युओं के बीच संघर्षों का विवरण भी है। दास और दस्यु वे लोग थे, जो यज्ञ (अक्रतु) नहीं करते या देवताओं की आज्ञाओं (अव्रत) का पालन नहीं करते।
- ऋग्वैदिक काल में आर्य अधिकतर सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित थे। ऋग्वेद में सप्तसिंधु या सात नदियों के देश का उल्लेख है।
- इसमें पंजाब में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज नदियां, तथा साथ ही इसमें सिंधु और सरस्वती नदी शामिल हैं।

ऋग्वैदिक काल : भौगोलिक अवस्थिति

- लगभग इसी समय, इंडो-आर्यन भाषा संस्कृत बोलने वाले इंडो-ईरानी क्षेत्र से उत्तर-पश्चिमी भारत में आये।
- वे पहले उत्तरी उच्चभूमि के मार्गों से छोटे समूहों में आए होंगे। उनकी पहली बस्तियां उत्तर-पश्चिमी निचले इलाकों तथा पंजाब के मैदानों में थीं।
- बाद में वे सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों में फैल गए। वे अधिकतर चारागाहों की खोज में रहते थे, क्योंकि वे मुख्य रूप से पशुपालक जनजाति थे।
- छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, इनका विस्तार पूरे उत्तर भारत में हों गया, जिसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था।
- इस काल की सर्वप्रमुख नदी सिन्धु थी तथा दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदीतमा कहा गया है। आर्यों का निवास स्थल सप्त सिन्धु प्रदेश के रूप में बताया गया है।

ऋग्वैदिक काल - सामाजिक जीवन

- ऋग्वैदिक समुदायों में कई गैर-आर्यन 'जन' के साथ-साथ 'जन' नामक आबादी शामिल थी। समाज आर्य और अनार्य में विभाजित था। अनार्यों को 'दास' अथवा 'दस्यु' कहा जाता था।
- यह एक समतावादी समाज था। दासों का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता था, न कि कृषि कार्यों के लिए।
- वर्ण व्यवस्था तथा कठोर जाति-व्यवस्था अभी तक विकसित नहीं हुई थी। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग केवल आर्यों एवं दासों के संदर्भ में किया गया है, जिनका रंग क्रमशः गोरा और सांवला था।
- ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था और पुत्र के जन्म की मांग की जाती थी।
- घोषा, सिकता, लोपामुद्रा, विश्ववारा और अपाला उस समय की विदुषी महिला ऋषि थीं, जिन्होंने ऋग्वेद की रचना में योगदान दिया था। महिलाएं को सभा में भाग लेती थी तथा यज्ञोपवीत धारण करती थी।
- महिला घर पर नियंत्रण रखती थी तथा सभी प्रमुख समारोहों में उपस्थित रहती थी। महिलाओं को पुरुषों के समान आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के समान अवसर दिए गए।
- बाल विवाह और सती प्रथा अनुपस्थित थी तथा विधवा-पुनर्विवाह एवं 'नियोग' प्रथा प्रचलित था।
- ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन के लिए जुआ, रथ दौड़ आदि प्रसिद्ध माध्यम था।
- एक विशेष प्रकार का पेय सोमरस प्रचलित था, जिसे धर्म द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा इसे विभिन्न अवसरों पर पीया जाता था।
- ऋग्वैदिक काल में एकपत्नी प्रथा आदर्श थी, हालांकि कुलीन परिवारों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी।

करेंट अफेयर्स वनलाइनर

राष्ट्रीय परिदृश्य

- हाल ही में, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किस ऐप का अनावरण किया है जो ग्राम प्रधान के संवाद करने, सहयोग करने और महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है? **- 'सरपंच संवाद' ऐप**
- किस व्यक्ति को द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (NASSCOM) का उपाध्यक्ष नामित किया गया है? **- सिंधु गंगाधरन**
- किस व्यक्ति ने 5 सितंबर, 2023 को मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में पदभार संभाला है? **- श्याम सुंदर गुप्ता**
- भारतीय आईटी और तकनीकी व्यापार निकाय नासकॉम ने किस व्यक्ति को अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त करने की घोषणा की है? **- राजेश नांबियार**
- हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) द्वारा जारी की गई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने वर्ष 2017 के बाद पहली बार शीर्ष 250 में अपनी जगह बनाई है? **- भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरू**
- 13 सितंबर, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ 4 वर्ष (2023 से आगे) के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में ई-कोर्ट परियोजना (e-Courts Project) के चरण-3 को अपनी मंजूरी दी है? **- 7,210 करोड़ रुपये**
- 13 सितंबर, 2023 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख एलपीजी कनेक्शन देने के लिए कितने मंजूर किए गए हैं? **- 1650 करोड़ रुपये मंजूर**
- 21 सितंबर, 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए किस नवीन समाधान को लॉन्च किया है? **- AI (एआई) चैटबॉट (पीएम किसान मित्र)**
- हाल ही में मुंबई में सूर्या क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना (Surya Regional Water Supply Project) के तहत किस सुरंग का निर्माण कार्य पूरा किया गया है, जिसके माध्यम से मुंबई के पश्चिमी उप-क्षेत्र में दो नगर निगमों को 403 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) जल आपूर्ति प्रदान की जाएगी? **- तुंगारेश्वर सुरंग**
- 31 अगस्त, 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने कन्याकुमारी जिले के थेंगापट्टनम समुद्र तट पर किस पहल का शुभारंभ किया? **- सागर परिक्रमा का 8वां चरण**
- हाल ही में, जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर को शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के प्रयासों' के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? **- लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड-एकेडमिया**
- भारतीय सूचना सेवा की किस वरिष्ठ अधिकारी ने आकाशवाणी और आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है? **- डॉ. वसुधा गुप्ता**

आर्थिक परिदृश्य

- ब्रिटेन सरकार और टाटा स्टील ने 15 सितंबर, 2023 को किस कंपनी के लिए 1.25 अरब पाउंड के संयुक्त निवेश पैकेज पर सहमत हुए हैं? **- वेल्स में पोर्ट टैलबोट स्टीलवर्क्स**
- नाबार्ड ने कृषि और खाद्य प्रणालियों में डेटा-संचालित नवाचार के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? **- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) इंडिया**
- एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) ने किस डाउनस्ट्रीम ऊर्जा कंपनी के साथ 11 सितंबर 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की पड़ताल करना है? **- 'नायरा एनर्जी'**
- 15 सितंबर, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय समावेश सूचकांक कितने अंक हो गए हैं? **- 60.1 अंक**
- भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? **- तीन वर्ष**
- भारत की प्रसिद्ध सर्जिकल रोबोटिक फर्म एसएस इनोवेशन ने भारत के मून मैन के रूप में जाने वाले किस व्यक्ति को अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करके की घोषणा की है? **- पद्मश्री डॉ. माइलस्वामी अन्नादुरई**
- हाल ही में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023' रिपोर्ट के अनुसार, समग्र बेरोजगारी दर 2017-18 के 8.7 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में कितने प्रतिशत हो गई है? **- 6.6 प्रतिशत**

विरासत एवं संस्कृति

- 08 सितम्बर, 2023 को प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक का 50 वर्ष की अवस्था में नई दिल्ली में निधन हो गया है, जो उस्ताद असद अली खान के शिष्य थे तथा ध्रुपद के जयपुर बीनकर घराने की खंडरबानी याखंडहरबानी (Khandaharbani) शैली के अंतिम प्रतिपादक थे? **- उस्ताद अली जकी हैदर**